Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

उत्तर प्रदेश में सुशासन एवं प्रशासनिक संस्कृति: कल्याण सिंह एवं योगी आदित्यनाथ का एक तुलनात्मक अध्ययन

सक्षम कुमार
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, बरेली कॉलेज, बरेली (उ०प्र०)।
ईमेल: kumarsaksham723@gmail.com

प्रोफेसर (डॉ०) मनमीत कौर
विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, बरेली कॉलेज, बरेली (उ०प्र०)।

शोध सार
उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक इतिहास और राज्य राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की सुशासन संकल्पना को आकार देने में कल्याण सिंह और योगी आदित्यनाथ की भूमिका अत्यंत निर्णायक रही है। दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने उत्तर प्रदेश की पारंपरिक, ढीली और राजनीतिक हस्तक्षेप से प्रभावित प्रशासनिक संस्कृति को बदलकर एक 'सख्त, भयमुक्त और माफिया-विरोधी राज्य' की स्थापना पर बल दिया। प्रस्तुत शोध-पत्र दोनों नेताओं के शासनकाल में अपनाए गए प्रशासनिक मॉडलों, कानून-व्यवस्था की प्राथमिकताओं, संस्थागत सुधारों और नौकरशाही पर नियंत्रण का एक मौलिक एवं तुलनात्मक विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। शोध के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि जहाँ कल्याण सिंह का प्रशासनिक मॉडल पुलिस को संस्थागत स्वतंत्रता देने, 'नकल विरोधी अधिनियम (1992)' जैसे कड़े विधायी प्रावधानों और तबादला उद्योग पर रोक लगाने जैसे नियमों के अनुपालन पर केंद्रित था; वहीं योगी आदित्यनाथ ने 'शून्य सहनशीलता' (ज़ीरो टॉलरेंस), विशेष कार्य बल, संपत्ति जब्ती/ध्वस्तीकरण (बुलडोज़र कार्रवाई) और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) जैसी तकनीकों के माध्यम से एक त्वरित, कठोर और दृश्यमान प्रतिरोध मॉडल विकसित किया। अध्ययन यह सिद्ध करता है कि योगी आदित्यनाथ का वर्तमान प्रशासनिक मॉडल वस्तुतः 1990 के दशक में कल्याण सिंह द्वारा स्थापित की गई 'सख्त राज्य' की अवधारणा का ही आधुनिक, प्रासंगिक और तकनीकी रूप से उन्नत विस्तार है। दोनों मॉडलों ने यह स्थापित किया कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और जटिल राज्य में स्थायी विकास, सामाजिक स्थिरता और जन-विश्वास की प्राथमिक शर्त केवल और केवल सख्त कानून-व्यवस्था ही है।

बीज शब्द: सुशासन, प्रशासनिक संस्कृति, कल्याण सिंह, योगी आदित्यनाथ, कानून-व्यवस्था, शून्य सहनशीलता, माफिया नियंत्रण, तुलनात्मक अध्ययन, उत्तर प्रदेश राजनीति

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य होने के साथ-साथ देश की लोकतांत्रिक राजनीति, प्रशासनिक संरचना तथा सार्वजनिक नीति निर्माण की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण राज्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही इस राज्य ने राष्ट्रीय राजनीति की दिशा निर्धारित करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। देश के अनेक प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री तथा राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक

नेतृत्व का संबंध उत्तर प्रदेश से रहा है। इसके बावजूद राज्य का प्रशासनिक इतिहास अनेक जटिल चुनौतियों से घिरा रहा है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, व्यापक भौगोलिक विस्तार, सामाजिक विविधता, आर्थिक असमानता, क्षेत्रीय विषमताएँ, अपराध की संगठित संरचना, राजनीतिक अस्थिरता तथा प्रशासनिक हस्तक्षेप जैसी परिस्थितियों ने लंबे समय तक राज्य की शासन-व्यवस्था को प्रभावित किया। परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में सुशासन की स्थापना केवल विकास योजनाओं के विस्तार का विषय नहीं रही, बल्कि प्रभावी प्रशासन, विधि के शासन, संस्थागत अनुशासन तथा राजनीतिक इच्छाशक्ति की वास्तविक परीक्षा भी रही है। लोक प्रशासन के अध्ययन में यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि किसी भी राज्य की प्रगति का आधार केवल आर्थिक संसाधन नहीं होते, बल्कि उसकी प्रशासनिक क्षमता, संस्थागत उत्तरदायित्व तथा विधि के प्रभावी क्रियान्वयन की क्षमता भी समान रूप से महत्त्वपूर्ण होती है। यदि प्रशासनिक संस्थाएँ निष्पक्ष, उत्तरदायी तथा प्रभावी हों तो सीमित संसाधनों वाला राज्य भी उल्लेखनीय विकास कर सकता है, जबकि सशक्त आर्थिक आधार होने के बावजूद कमजोर प्रशासनिक संरचना विकास की गति को बाधित कर देती है। इसी कारण आधुनिक लोक प्रशासन में सुशासन की अवधारणा को विकास प्रक्रिया का अनिवार्य आधार माना गया है। सुशासन का आशय केवल लोक-कल्याणकारी योजनाओं के संचालन से नहीं है, बल्कि ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें विधि का समान रूप से पालन हो, प्रशासन पारदर्शी एवं उत्तरदायी हो, भ्रष्टाचार न्यूनतम हो, सार्वजनिक सेवाओं का वितरण प्रभावी ढंग से हो तथा नागरिकों का राज्य की संस्थाओं पर विश्वास बना रहे।

उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक अनुभव इस दृष्टि से विशेष अध्ययन का विषय है क्योंकि यहाँ सुशासन की अवधारणा का विकास अनेक राजनीतिक परिवर्तनों, सामाजिक आंदोलनों तथा प्रशासनिक प्रयोगों के बीच हुआ है। स्वतंत्रता के पश्चात् प्रारम्भिक दशकों में राज्य में एकदलीय राजनीतिक व्यवस्था होने के कारण प्रशासनिक निरंतरता तो बनी रही, किन्तु समय के साथ नौकरशाही पर राजनीतिक प्रभाव, स्थानांतरण आधारित प्रशासनिक संस्कृति, संगठित अपराध, परीक्षा प्रणाली में अनियमितताएँ तथा स्थानीय स्तर पर बाहुबलियों का प्रभाव बढ़ता गया। विशेषकर 1980 के दशक के उत्तरार्ध तक राज्य के अनेक क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था की स्थिति गंभीर चिंता का विषय बन चुकी थी। अपराधियों और राजनीति के बीच बढ़ते संबंधों ने प्रशासनिक निष्पक्षता को प्रभावित किया तथा आम नागरिकों के मन में शासन की प्रभावशीलता के प्रति प्रश्न खड़े होने लगे। यही वह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी जिसने उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता को अत्यंत प्रबल बना दिया। 1990 का दशक उत्तर प्रदेश की राजनीति एवं प्रशासन दोनों के लिए संक्रमण का काल सिद्ध हुआ। सामाजिक न्याय की राजनीति, मंडल आयोग की सिफारिशों का प्रभाव, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उभार, गठबंधन राजनीति तथा बदलते राजनीतिक समीकरणों ने राज्य की सत्ता संरचना को व्यापक रूप से प्रभावित किया। इसी दौर में वर्ष 1991 में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश प्राप्त हुआ और कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया। उनके नेतृत्व में प्रशासनिक सुधारों को केवल सरकारी कार्यक्रम के रूप में नहीं, बल्कि शासन की मूल प्राथमिकता के रूप में प्रस्तुत किया गया। उनके कार्यकाल में पुलिस प्रशासन की कार्यात्मक स्वतंत्रता, अपराध नियंत्रण, परीक्षा प्रणाली में सुधार, राजनीतिक हस्तक्षेप को सीमित करने तथा प्रशासनिक अनुशासन स्थापित करने के अनेक प्रयास किए गए। यद्यपि उनका प्रथम कार्यकाल अपेक्षाकृत अल्पकालिक रहा, तथापि उनके द्वारा प्रारम्भ किए गए अनेक प्रशासनिक निर्णयों ने उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था पर दीर्घकालीन प्रभाव डाला।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

कल्याण सिंह के पश्चात् उत्तर प्रदेश ने गठबंधन सरकारों, बार-बार सत्ता परिवर्तन तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेतृत्व का अनुभव किया। इस अवधि में अनेक प्रशासनिक सुधारों की गति प्रभावित हुई तथा कानून-व्यवस्था, नौकरशाही की स्थिरता एवं सार्वजनिक सेवा वितरण से संबंधित चुनौतियाँ पुनः उभरकर सामने आई। इसके लगभग ढाई दशक बाद वर्ष 2017 में भारतीय जनता पार्टी पुनः पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई और योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया। उनके नेतृत्व में राज्य सरकार ने कानून-व्यवस्था, संगठित अपराध नियंत्रण, प्रशासनिक जवाबदेही, डिजिटल शासन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, सार्वजनिक शिकायत निवारण तथा निवेशोन्मुख प्रशासनिक वातावरण के निर्माण पर विशेष बल दिया। इस अवधि में शासन प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को नया स्वरूप प्रदान किया। इस प्रकार उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक यात्रा में वर्ष 1991 और वर्ष 2017 दो ऐसे महत्वपूर्ण चरण हैं, जिन्होंने शासन की कार्यप्रणाली को अलग-अलग ऐतिहासिक संदर्भों में पुनर्परिभाषित किया।

लोक प्रशासन के सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य में यह माना जाता है कि किसी भी शासन प्रणाली की सफलता केवल नीतियों की घोषणा से निर्धारित नहीं होती, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन की क्षमता से निर्धारित होती है। इसी संदर्भ में अनेक प्रशासनिक विचारकों ने यह प्रतिपादित किया है कि जब राज्य की संस्थाएँ निष्पक्ष रूप से कार्य करती हैं, विधि का शासन प्रभावी होता है तथा प्रशासनिक निर्णय राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होकर लिए जाते हैं, तभी नागरिकों का शासन के प्रति विश्वास सुदृढ़ होता है। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अनुभव का अध्ययन भी इसी दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ शासन की प्रभावशीलता का सबसे बड़ा मापदंड सदैव कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक अनुशासन तथा सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता रहा है। कल्याण सिंह तथा योगी आदित्यनाथ के प्रशासनिक मॉडल का अध्ययन केवल दो मुख्यमंत्रियों की कार्यशैली की तुलना नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक विकास की निरंतर प्रक्रिया का अध्ययन भी है। दोनों नेताओं ने भिन्न-भिन्न समय, परिस्थितियों तथा तकनीकी संसाधनों के बीच शासन किया, फिर भी उनके प्रशासनिक दृष्टिकोण में कुछ मूलभूत समानताएँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। दोनों ने कानून के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रशासनिक अनुशासन, अपराध नियंत्रण तथा राजनीतिक इच्छाशक्ति को सुशासन का आधार माना। दूसरी ओर, दोनों के प्रशासनिक साधनों एवं कार्यान्वयन की पद्धतियों में समयानुकूल परिवर्तन भी परिलक्षित होते हैं। जहाँ कल्याण सिंह का प्रशासन मुख्यतः संस्थागत अनुशासन, विधायी सुधार तथा प्रशासनिक नियंत्रण पर आधारित था, वहीं योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डिजिटल शासन, तकनीकी निगरानी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, प्रशासनिक मूल्यांकन तथा परिणाम आधारित कार्यप्रणाली को व्यापक रूप से अपनाया गया। इस प्रकार दोनों मॉडलों का तुलनात्मक अध्ययन उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक विकास की क्रमिक प्रक्रिया को समझने का अवसर प्रदान करता है।

अब तक उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हुए अधिकांश अध्ययन चुनावी व्यवहार, जातीय समीकरण, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अथवा दलगत प्रतिस्पर्धा तक सीमित रहे हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण से दो प्रमुख मुख्यमंत्रियों की शासन शैली, संस्थागत सुधारों, प्रशासनिक क्षमता तथा सुशासन के प्रतिमानों का तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन अपेक्षाकृत कम उपलब्ध है। यही इस शोध का प्रमुख औचित्य है। प्रस्तुत अध्ययन राजनीतिक विमर्श से आगे बढ़कर प्रशासनिक संरचना, शासन क्षमता, संस्थागत सुधार, कानून-व्यवस्था तथा सार्वजनिक नीति के धरातल पर दोनों प्रशासनिक मॉडलों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

करता है। यह अध्ययन यह समझने का प्रयास करता है कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल एवं जटिल राज्य में सुशासन की स्थापना किन प्रशासनिक सिद्धांतों, नीतिगत निर्णयों तथा राजनीतिक संकल्पों के माध्यम से संभव हुई और इन प्रयासों का राज्य की प्रशासनिक संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा।

अध्ययन का औचित्य

यह शोध उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में सुशासन की अवधारणा के विकास का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास पर अनेक अध्ययन उपलब्ध हैं, जिनमें मुख्यतः चुनावी व्यवहार, जातीय राजनीति, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तथा दलगत प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण किया गया है। इसी प्रकार कुछ अध्ययनों में कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक सुधार अथवा शासन की कार्यप्रणाली का पृथक-पृथक विवेचन भी मिलता है। किन्तु कल्याण सिंह तथा योगी आदित्यनाथ के प्रशासनिक मॉडलों का लोक प्रशासन के सिद्धान्तों के आलोक में तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन अपेक्षाकृत कम हुआ है। यही इस शोध की प्रमुख प्रासंगिकता है। कल्याण सिंह ने वर्ष 1991 में जिस प्रशासनिक दृष्टिकोण का प्रारम्भ किया, उसका मूल उद्देश्य राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में अनुशासन, विधि का प्रभावी क्रियान्वयन तथा राजनीतिक हस्तक्षेप को सीमित करना था। दूसरी ओर, वर्ष 2017 के पश्चात् योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रशासनिक सुधारों को आधुनिक प्रौद्योगिकी, डिजिटल शासन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, सार्वजनिक शिकायत निवारण तथा परिणामोन्मुख प्रशासन से जोड़ा गया। यद्यपि दोनों प्रशासनिक मॉडल भिन्न ऐतिहासिक परिस्थितियों में विकसित हुए, तथापि दोनों की मूल प्रशासनिक अवधारणा में अनेक समानताएँ परिलक्षित होती हैं। प्रस्तुत अध्ययन का औचित्य इस तथ्य में निहित है कि यह दोनों प्रशासनिक मॉडलों का केवल वर्णन नहीं करता, बल्कि उनके प्रशासनिक दर्शन, संस्थागत सुधारों, कानून-व्यवस्था, शासन क्षमता तथा सार्वजनिक नीति पर पड़े प्रभाव का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह अध्ययन उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संस्कृति में हुए परिवर्तन, शासन की कार्यकुशलता तथा सुशासन की अवधारणा के विकास को समझने के लिए एक महत्त्वपूर्ण अकादमिक आधार प्रदान करता है। साथ ही, यह शोध भारतीय राज्यों में प्रशासनिक सुधारों के अध्ययन के लिए भी उपयोगी संदर्भ प्रस्तुत करता है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध का प्रमुख उद्देश्य उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह एवं योगी आदित्यनाथ के प्रशासनिक मॉडलों का तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत दोनों मुख्यमंत्रियों द्वारा अपनाई गई प्रशासनिक नीतियों, कानून-व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण, संस्थागत सुधारों, शिक्षा व्यवस्था में किए गए परिवर्तनों, नौकरशाही की कार्यप्रणाली तथा सुशासन की स्थापना हेतु अपनाए गए उपायों का समग्र मूल्यांकन किया गया है। यह अध्ययन इस तथ्य का विश्लेषण करने का प्रयास करता है कि दोनों नेतृत्वों ने अपने-अपने कार्यकाल में प्रशासनिक उत्तरदायित्व, विधि के शासन, अपराध नियंत्रण, सार्वजनिक सेवा वितरण तथा शासन की प्रभावशीलता को सुदृढ़ करने के लिए किन नीतिगत एवं संरचनात्मक उपायों को अपनाया। साथ ही, शोध का उद्देश्य दोनों प्रशासनिक मॉडलों की समानताओं एवं भिन्नताओं का तुलनात्मक परीक्षण करते हुए यह समझना भी है कि बदलती सामाजिक, राजनीतिक एवं तकनीकी परिस्थितियों के अनुरूप उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संस्कृति में किस प्रकार परिवर्तन हुआ।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

इसके अतिरिक्त यह अध्ययन राज्य में सुशासन की स्थापना में राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत क्षमता, प्रशासनिक अनुशासन तथा उत्तरदायी शासन की भूमिका का समालोचनात्मक विश्लेषण करते हुए भावी प्रशासनिक सुधारों के लिए नीतिगत संकेत प्रस्तुत करने का प्रयास करता है।

कानून-व्यवस्था एवं माफिया नियंत्रण: कल्याण सिंह बनाम योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश जैसे विशाल एवं सामाजिक दृष्टि से विविध राज्य में सुशासन की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार प्रभावी कानून-व्यवस्था को माना जाता है। लोक प्रशासन के सिद्धान्तों के अनुसार जब तक राज्य की विधि-प्रवर्तन संस्थाएँ निष्पक्ष, सक्षम एवं उत्तरदायी नहीं होतीं, तब तक विकास योजनाएँ, निवेश, सामाजिक न्याय तथा नागरिक अधिकारों की प्रभावी स्थापना संभव नहीं होती। इसी कारण उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना में कानून-व्यवस्था सदैव शासन की प्राथमिकताओं का केंद्र रही है। विशेष रूप से 1980 के दशक के उत्तरार्ध तथा 1990 के दशक के प्रारम्भ में राज्य संगठित अपराध, बाहुबलियों के बढ़ते प्रभाव, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधी समूहों, भूमि पर अवैध कब्जों, साम्प्रदायिक तनाव तथा प्रशासनिक शिथिलता जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा था। अनेक क्षेत्रों में अपराधियों का प्रभाव स्थानीय प्रशासन से अधिक दिखाई देने लगा था, जिससे नागरिकों का शासन व्यवस्था पर विश्वास कमजोर पड़ने लगा। ऐसी परिस्थितियों में राज्य के समक्ष केवल अपराध नियंत्रण का ही नहीं, बल्कि शासन की वैधता तथा विधि के शासन को पुनः स्थापित करने का भी प्रश्न उपस्थित था। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में वर्ष 1991 में कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद का दायित्व ग्रहण किया। उनके प्रशासनिक दृष्टिकोण का मूल आधार यह था कि यदि शासन को प्रभावी बनाना है तो सबसे पहले राज्य की विधि-प्रवर्तन प्रणाली को राजनीतिक दबावों से मुक्त करना होगा। उनके कार्यकाल में पुलिस प्रशासन को यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि अपराधी की पहचान उसके जातीय, धार्मिक अथवा राजनीतिक संबंधों से नहीं, बल्कि उसके अपराध से होगी। यह दृष्टिकोण उस समय की प्रचलित राजनीतिक संस्कृति से भिन्न था, क्योंकि अनेक अवसरों पर स्थानीय स्तर पर पुलिस की कार्यवाही राजनीतिक हस्तक्षेप से प्रभावित होती थी। कल्याण सिंह ने इस प्रवृत्ति को नियंत्रित करने का प्रयास करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस बल को विधि के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे प्रशासनिक तंत्र में उत्तरदायित्व तथा अनुशासन की भावना को सुदृढ़ करने का प्रयास हुआ। कल्याण सिंह के प्रशासनिक मॉडल की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि उन्होंने अपराध नियंत्रण को केवल पुलिस की कार्रवाई तक सीमित नहीं माना, बल्कि उसे प्रशासनिक सुधारों से भी जोड़ा। उनके शासनकाल में स्थानांतरण की अनियंत्रित प्रवृत्ति पर नियंत्रण, प्रशासनिक निर्णयों में स्थिरता तथा अधिकारियों की जवाबदेही पर बल दिया गया। इससे पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को अपेक्षाकृत स्थिर कार्यकाल प्राप्त हुआ, जिसके कारण स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हुई। साथ ही, उन्होंने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि शासन की विश्वसनीयता तभी बढ़ेगी जब कानून का समान रूप से पालन कराया जाएगा और राज्य किसी भी प्रकार के राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधी तत्वों के प्रति उदारता नहीं दिखाएगा। यह दृष्टिकोण उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संस्कृति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत था। वर्ष 1992 की अयोध्या की घटनाओं के दौरान कल्याण सिंह के नेतृत्व की व्यापक चर्चा हुई। यह विषय भारतीय राजनीति एवं प्रशासन दोनों की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील रहा है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि उस समय राज्य सरकार

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

को कानून-व्यवस्था, न्यायिक निर्देशों, व्यापक जनभावनाओं तथा सार्वजनिक सुरक्षा के मध्य संतुलन स्थापित करने जैसी जटिल चुनौती का सामना करना पड़ा। इस प्रसंग का मूल्यांकन विभिन्न विद्वानों, न्यायिक अभिलेखों तथा राजनीतिक विश्लेषणों में भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से किया गया है। अतः शोधपरक दृष्टि से इसका विश्लेषण करते समय किसी एक पक्ष का समर्थन करने के स्थान पर यह स्वीकार करना अधिक उपयुक्त है कि इस घटना ने उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक एवं राजनीतिक संरचना पर दीर्घकालीन प्रभाव डाला तथा राज्य की शासन-व्यवस्था के अध्ययन में इसे एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है। लगभग ढाई दशक पश्चात् वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था ने एक नए चरण में प्रवेश किया। इस समय राज्य की चुनौतियों का स्वरूप आंशिक रूप से परिवर्तित हो चुका था। संगठित अपराध के साथ-साथ भूमि माफिया, अवैध खनन, आर्थिक अपराध, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध तथा प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे विषय शासन की प्रमुख प्राथमिकताओं में सम्मिलित हो चुके थे। इन परिस्थितियों में राज्य सरकार ने कानून-व्यवस्था को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता घोषित करते हुए अपराध के प्रति कठोर प्रशासनिक नीति अपनाई। सरकार द्वारा विभिन्न विधिक प्रावधानों के अंतर्गत संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही, अवैध संपत्तियों की जब्ती, भूमि से अवैध कब्जों को हटाने तथा अपराध से अर्जित आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करने जैसे उपाय अपनाए गए। जनसंचार माध्यमों एवं सार्वजनिक विमर्श में इन कार्यवाहियों को व्यापक रूप से 'बुलडोज़र मॉडल' के नाम से संबोधित किया गया, यद्यपि प्रशासनिक दृष्टि से इन्हें न्यायालयीय एवं वैधानिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत संचालित अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण विरोधी अभियानों के रूप में समझना अधिक उपयुक्त है। योगी आदित्यनाथ के प्रशासनिक मॉडल की एक अन्य महत्त्वपूर्ण विशेषता आधुनिक प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग है। पुलिस व्यवस्था में डिजिटल अभिलेखों का विस्तार, निगरानी तंत्र का सुदृढ़ीकरण, शिकायत निवारण की ऑनलाइन व्यवस्था, अपराध संबंधी आँकड़ों की नियमित समीक्षा तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व की सतत निगरानी ने शासन प्रणाली को परिणामोन्मुख बनाने का प्रयास किया। इसके साथ ही, महिलाओं की सुरक्षा, सार्वजनिक स्थलों पर कानून-व्यवस्था तथा संगठित अपराध के विरुद्ध विशेष अभियान भी चलाए गए। इन प्रयासों का घोषित उद्देश्य केवल अपराधियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं था, बल्कि अपराध के प्रति राज्य की दंडात्मक क्षमता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना भी था, जिससे संभावित अपराधियों में निवारक प्रभाव उत्पन्न हो सके। लोक प्रशासन के सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य में दोनों प्रशासनिक मॉडलों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि दोनों के मूल दर्शन में अनेक समानताएँ विद्यमान हैं। दोनों ने शासन की प्रभावशीलता के लिए विधि के शासन, प्रशासनिक अनुशासन तथा राजनीतिक इच्छाशक्ति को केंद्रीय तत्व माना। दोनों प्रशासनिक दृष्टिकोणों में यह विश्वास दिखाई देता है कि राज्य की वैधता तभी सुदृढ़ होगी जब नागरिकों को निष्पक्ष कानून-व्यवस्था तथा सुरक्षित सामाजिक वातावरण प्राप्त होगा। तथापि दोनों मॉडलों में कार्यान्वयन की पद्धति में समयानुकूल अंतर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कल्याण सिंह का प्रशासनिक मॉडल संस्थागत अनुशासन, पुलिस प्रशासन की कार्यात्मक स्वतंत्रता तथा विधायी सुधारों पर अधिक आधारित था, जबकि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उसी दृष्टिकोण को आधुनिक तकनीकी साधनों, डिजिटल प्रशासन, सतत निगरानी तथा परिणाम आधारित शासन से जोड़ा गया। इस प्रकार दोनों प्रशासनिक प्रतिमानों को प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में सुशासन की क्रमिक प्रशासनिक विकास यात्रा के दो महत्त्वपूर्ण चरणों के रूप में देखा जा सकता है।

संस्थागत सुधार, शिक्षा एवं प्रशासनिक संस्कृति: एक विश्लेषणात्मक मूल्यांकन

किसी भी राज्य की प्रशासनिक दक्षता केवल कानून-व्यवस्था की प्रभावशीलता से निर्धारित नहीं होती, बल्कि उसकी संस्थागत क्षमता, शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता, नौकरशाही की उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यप्रणाली तथा प्रशासनिक संस्कृति की गुणवत्ता से भी उसका मूल्यांकन किया जाता है। लोक प्रशासन के विद्वानों का मत है कि यदि प्रशासनिक संस्थाएँ राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, अनियमित स्थानांतरण, पक्षपातपूर्ण निर्णय तथा उत्तरदायित्वहीन कार्यशैली से प्रभावित हों, तो शासन की प्रभावशीलता स्वतः कमजोर हो जाती है। उत्तर प्रदेश लंबे समय तक ऐसी ही अनेक संरचनात्मक चुनौतियों से जूझता रहा। शिक्षा व्यवस्था में संगठित नकल, नियुक्तियों एवं परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोप, बार-बार होने वाले स्थानांतरण, प्रशासनिक निर्णयों पर बाह्य दबाव तथा सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में पारदर्शिता का अभाव राज्य के समक्ष गंभीर चुनौतियाँ थे। ऐसी परिस्थितियों में संस्थागत सुधार केवल प्रशासनिक आवश्यकता नहीं, बल्कि सुशासन की पूर्वशर्त बन गए। कल्याण सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में प्रशासनिक सुधारों का प्रमुख उद्देश्य शासन व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व स्थापित करना था। उनका विश्वास था कि यदि प्रशासनिक संस्थाएँ निष्पक्ष एवं नियमबद्ध ढंग से कार्य करेंगी, तभी शासन के प्रति जनविश्वास सुदृढ़ होगा। इसी दृष्टिकोण के अंतर्गत उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त संगठित नकल की समस्या को गंभीर प्रशासनिक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उस समय उत्तर प्रदेश की परीक्षा प्रणाली पर व्यापक स्तर पर प्रश्नचिह्न लगाए जा रहे थे। अनेक परीक्षा केंद्रों पर सामूहिक नकल, बाहरी हस्तक्षेप तथा नकल माफिया की सक्रियता के कारण राज्य की शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित हो रही थी। इस स्थिति का प्रतिकूल प्रभाव केवल विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता पर ही नहीं, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं, नियुक्तियों तथा प्रशासनिक सेवाओं की गुणवत्ता पर भी पड़ रहा था। ऐसी परिस्थितियों में वर्ष 1992 में नकल रोकने के उद्देश्य से कठोर विधिक प्रावधान लागू किए गए, जिनका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन स्थापित करना तथा मेधा-आधारित मूल्यांकन प्रणाली को सुदृढ़ करना था। यद्यपि इन प्रावधानों का उस समय विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक वर्गों द्वारा विरोध भी किया गया, तथापि प्रशासनिक दृष्टि से इस पहल ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि शिक्षा व्यवस्था में अनियमितताओं को शासन द्वारा सामान्य प्रशासनिक समस्या के रूप में नहीं, बल्कि संस्थागत सुधार के विषय के रूप में देखा जा रहा है।

शिक्षा सुधारों के समानांतर कल्याण सिंह ने प्रशासनिक संस्कृति में अनुशासन स्थापित करने का भी प्रयास किया। विशेष रूप से स्थानांतरण की अनियंत्रित प्रवृत्ति पर नियंत्रण, अधिकारियों की कार्यस्थलीय स्थिरता तथा निर्णय प्रक्रिया में जवाबदेही स्थापित करने पर बल दिया गया। प्रशासनिक सिद्धान्तों के अनुसार यदि किसी अधिकारी का कार्यकाल अत्यंत अल्प हो अथवा उसके स्थानांतरण राजनीतिक कारणों से निरंतर होते रहें, तो दीर्घकालिक प्रशासनिक उत्तरदायित्व विकसित नहीं हो पाता। इस दृष्टि से उनके कार्यकाल में अपेक्षाकृत स्थिर प्रशासनिक वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया गया। इसका उद्देश्य अधिकारियों को अल्पकालिक राजनीतिक दबावों से मुक्त कर नियमसम्मत प्रशासनिक निर्णयों के लिए प्रोत्साहित करना था। वर्ष 2017 के पश्चात् योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संस्थागत सुधारों का स्वरूप अधिक व्यापक तथा प्रौद्योगिकी आधारित दिखाई देता है।

इस अवधि में शासन व्यवस्था में डिजिटल माध्यमों का विस्तार, प्रशासनिक प्रक्रियाओं का संगणकीकरण तथा सेवा वितरण की पारदर्शिता पर विशेष बल दिया गया। राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की धनराशि सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित करने की व्यवस्था को व्यापक रूप से लागू किया गया। इस प्रणाली का उद्देश्य बिचौलियों की भूमिका को न्यूनतम करना, वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ाना तथा सार्वजनिक संसाधनों के वितरण में उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना था। इसी प्रकार ऑनलाइन शिकायत निवारण व्यवस्था, डिजिटल अभिलेखों का उपयोग, प्रशासनिक कार्यों की नियमित समीक्षा तथा समयबद्ध सेवा वितरण जैसे उपायों ने प्रशासनिक दक्षता को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में परीक्षा संबंधी अनियमितताओं को रोकने के लिए भी कठोर प्रशासनिक दृष्टिकोण अपनाया। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक होने, संगठित गिरोहों की सक्रियता तथा अनुचित साधनों के प्रयोग जैसी घटनाओं को केवल आपराधिक कृत्य न मानकर शासन व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा विषय माना गया। इसी संदर्भ में परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा, डिजिटल निगरानी, दोषियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई तथा परीक्षा संचालन की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विभिन्न विधिक एवं प्रशासनिक उपाय किए गए। इससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों प्रशासनिक मॉडलों में शिक्षा व्यवस्था को सुशासन का अभिन्न अंग माना गया, यद्यपि उनके कार्यान्वयन के साधन समयानुकूल रूप से भिन्न रहे। नौकरशाही की कार्यप्रणाली के संदर्भ में भी दोनों मुख्यमंत्रियों के प्रशासनिक दृष्टिकोण में उल्लेखनीय समानता दिखाई देती है। दोनों ने प्रशासनिक उत्तरदायित्व को शासन की प्रभावशीलता का मूल आधार माना। कल्याण सिंह ने जहाँ अधिकारियों की कार्यस्वतंत्रता एवं अनुशासन पर बल दिया, वहीं योगी आदित्यनाथ ने कार्यनिष्पादन आधारित मूल्यांकन, नियमित समीक्षा बैठकों तथा तकनीकी निगरानी को प्रशासनिक नियंत्रण का प्रमुख माध्यम बनाया। इससे प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया में गति, उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास किया गया। साथ ही, भ्रष्टाचार अथवा कार्य में लापरवाही के आरोपित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही, समयपूर्व सेवानिवृत्ति तथा प्रशासनिक पुनर्संरचना जैसे उपायों का भी उपयोग किया गया। इन प्रयासों का घोषित उद्देश्य प्रशासनिक तंत्र को अधिक उत्तरदायी, परिणामोन्मुख तथा नागरिक-केंद्रित बनाना था। लोक प्रशासन की दृष्टि से यदि दोनों प्रशासनिक मॉडलों का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि कल्याण सिंह का प्रशासनिक प्रतिमान मुख्यतः संस्थागत अनुशासन, विधिक सुधार तथा प्रशासनिक नियंत्रण पर आधारित था। उन्होंने उन संरचनात्मक समस्याओं को पहचानने का प्रयास किया जो लंबे समय से राज्य की शासन व्यवस्था को प्रभावित कर रही थीं। इसके विपरीत योगी आदित्यनाथ का प्रशासनिक प्रतिमान उसी आधारभूत संरचना को आधुनिक प्रौद्योगिकी, डिजिटल शासन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, सूचना प्रबंधन तथा परिणामोन्मुख प्रशासनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अधिक सक्षम बनाने की दिशा में अग्रसर दिखाई देता है। इस प्रकार दोनों मॉडलों के बीच निरंतरता तथा परिवर्तन दोनों के तत्व स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। प्रशासनिक संस्कृति के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि दोनों नेतृत्वों ने उत्तर प्रदेश में नियमाधारित शासन, संस्थागत उत्तरदायित्व तथा प्रशासनिक अनुशासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। यद्यपि दोनों की कार्यशैली, समय, संसाधन तथा तकनीकी परिस्थितियाँ अलग-अलग थीं, फिर भी उनका साझा उद्देश्य शासन की प्रभावशीलता बढ़ाना तथा नागरिकों का प्रशासन पर विश्वास सुदृढ़ करना था। इसलिए उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक इतिहास का अध्ययन करते समय इन दोनों प्रशासनिक

मॉडलों को पृथक-पृथक घटनाओं के रूप में नहीं, बल्कि राज्य की शासन व्यवस्था के क्रमिक संस्थागत विकास की एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है।

तुलनात्मक मूल्यांकन, निष्कर्ष एवं भावी दिशा

उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक इतिहास का सम्यक् अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि सुशासन की अवधारणा किसी एक प्रशासनिक निर्णय अथवा किसी एक सरकार की नीति का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह दीर्घकालिक संस्थागत निर्माण, राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक उत्तरदायित्व तथा विधि के प्रभावी क्रियान्वयन की सतत प्रक्रिया का प्रतिफल होती है। प्रस्तुत अध्ययन में कल्याण सिंह तथा योगी आदित्यनाथ के प्रशासनिक मॉडलों का तुलनात्मक विश्लेषण यह संकेत करता है कि दोनों नेताओं ने भिन्न-भिन्न ऐतिहासिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में शासन किया, तथापि दोनों की प्रशासनिक दृष्टि का मूल उद्देश्य राज्य की संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना तथा शासन व्यवस्था में जनविश्वास की पुनर्स्थापना करना था। इसलिए दोनों प्रशासनिक प्रतिमानों का मूल्यांकन केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि लोक प्रशासन, सार्वजनिक नीति तथा संस्थागत विकास के व्यापक परिप्रेक्ष्य में किया जाना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो कल्याण सिंह के प्रशासनिक मॉडल की प्रमुख विशेषता संस्थागत अनुशासन, विधिक सुधार तथा प्रशासनिक नियंत्रण की स्थापना रही। उनके कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था में नकल पर नियंत्रण, पुलिस प्रशासन को अपेक्षाकृत अधिक कार्यात्मक स्वतंत्रता प्रदान करना, राजनीतिक हस्तक्षेप को सीमित करने का प्रयास तथा प्रशासनिक अनुशासन को शासन की प्राथमिकता बनाना ऐसे कदम थे, जिनका उद्देश्य राज्य की प्रशासनिक संरचना को अधिक उत्तरदायी बनाना था। उस समय उत्तर प्रदेश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा था, उनमें शासन की विश्वसनीयता पुनर्स्थापित करना सबसे बड़ी चुनौती थी। इस दृष्टि से उनके अनेक निर्णय तत्कालीन प्रशासनिक परिस्थितियों के अनुरूप संस्थागत सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखे जा सकते हैं। इसके विपरीत योगी आदित्यनाथ का प्रशासनिक मॉडल ऐसे समय में विकसित हुआ जब सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल प्रशासन तथा डेटा-आधारित शासन व्यवस्था सार्वजनिक प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग बन चुके थे। इसलिए उनके शासनकाल में प्रशासनिक सुधार केवल विधिक कठोरता तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्हें डिजिटल निगरानी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, ऑनलाइन शिकायत निवारण, सेवा वितरण की पारदर्शिता तथा परिणामोन्मुख प्रशासनिक मूल्यांकन से भी जोड़ा गया। संगठित अपराध, भूमि संबंधी विवाद, सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जे, परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा तथा प्रशासनिक जवाबदेही जैसे विषयों पर व्यापक स्तर पर कार्यवाही की गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि जहाँ कल्याण सिंह ने प्रशासनिक सुधारों की आधारशिला रखने का प्रयास किया, वहीं योगी आदित्यनाथ ने उन्हें समकालीन तकनीकी एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने का प्रयास किया। यद्यपि दोनों प्रशासनिक मॉडलों में अनेक समानताएँ विद्यमान हैं, तथापि उनके मध्य कुछ महत्वपूर्ण भिन्नताएँ भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं। कल्याण सिंह के शासनकाल में प्रशासनिक सुधारों का प्रमुख आधार विधायी हस्तक्षेप, संस्थागत अनुशासन तथा प्रशासनिक नियंत्रण था। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ के प्रशासनिक मॉडल में प्रौद्योगिकी आधारित शासन, सतत निगरानी, समयबद्ध समीक्षा तथा परिणाम आधारित प्रशासनिक मूल्यांकन को अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व प्राप्त हुआ। इस प्रकार दोनों प्रशासनिक प्रतिमानों में उद्देश्य समान होने के बावजूद कार्यान्वयन की पद्धति समयानुकूल रूप से परिवर्तित दिखाई

देती है। यही परिवर्तन उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संस्कृति के क्रमिक विकास को भी प्रतिबिंबित करता है। इस अध्ययन का एक महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष यह भी है कि किसी भी राज्य में प्रभावी कानून-व्यवस्था केवल दंडात्मक कार्यवाहियों से स्थापित नहीं की जा सकती। इसके लिए पुलिस प्रशासन, न्यायिक प्रक्रिया, प्रशासनिक पारदर्शिता, शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण तथा सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध उपलब्धता जैसे अनेक संस्थागत घटकों का समन्वित रूप से कार्य करना आवश्यक होता है। यदि इनमें से किसी एक क्षेत्र में भी संरचनात्मक कमजोरी बनी रहती है, तो सुशासन की संपूर्ण प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसलिए प्रशासनिक सुधारों का मूल्यांकन किसी एक नीति अथवा अभियान के आधार पर नहीं, बल्कि शासन व्यवस्था की समग्र संस्थागत क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए। यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल एवं सामाजिक रूप से विविध राज्य में प्रशासनिक निर्णयों का प्रभाव केवल सरकारी तंत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनका व्यापक प्रभाव सामाजिक विश्वास, निवेश के वातावरण, शिक्षा प्रणाली, आर्थिक गतिविधियों तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी पड़ता है। इसलिए प्रशासनिक सुधारों की निरंतर समीक्षा, विधिक प्रक्रियाओं का सुदृढ़ीकरण तथा प्रशासनिक संस्थाओं की उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यप्रणाली भविष्य में भी समान रूप से आवश्यक बनी रहेगी। सुशासन की अवधारणा को स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि प्रशासनिक निर्णय विधि के शासन, संवैधानिक मूल्यों तथा संस्थागत निष्पक्षता के सिद्धान्तों के अनुरूप संचालित हों।

प्रस्तुत अध्ययन का समग्र विश्लेषण यह संकेत करता है कि कल्याण सिंह एवं योगी आदित्यनाथ दोनों के प्रशासनिक मॉडल उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था के विकासक्रम में महत्वपूर्ण चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों ने अपने-अपने समय की चुनौतियों के अनुरूप प्रशासनिक सुधारों को प्राथमिकता दी तथा शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, उत्तरदायी एवं परिणामोन्मुख बनाने का प्रयास किया। यद्यपि दोनों के कार्यकाल, परिस्थितियाँ तथा प्रशासनिक साधन अलग-अलग थे, तथापि दोनों की प्रशासनिक दृष्टि में विधि के शासन, प्रशासनिक अनुशासन तथा शासन की प्रभावशीलता को विशेष महत्व प्राप्त रहा। इसी कारण इन दोनों मॉडलों का तुलनात्मक अध्ययन उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक इतिहास को समझने के साथ-साथ भारतीय राज्यों में सुशासन की विकसित होती अवधारणा का भी महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है।

भावी अनुसंधान की दृष्टि से यह विषय अभी भी व्यापक संभावनाएँ रखता है। भविष्य में उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक सुधारों का अध्ययन जिलावार तुलनात्मक विश्लेषण, अपराध के सांख्यिकीय रुझानों, नागरिक संतुष्टि, डिजिटल शासन की प्रभावशीलता, सेवा वितरण की गुणवत्ता तथा अन्य राज्यों के प्रशासनिक मॉडलों के साथ तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक सुधारों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभावों का क्षेत्रीय अध्ययन भी इस विषय को और अधिक समृद्ध बना सकता है। इस प्रकार प्रस्तुत शोध न केवल उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक इतिहास की व्याख्या करता है, बल्कि भारतीय लोक प्रशासन के क्षेत्र में सुशासन संबंधी विमर्श को भी एक नया विश्लेषणात्मक आधार प्रदान करने का प्रयास करता है।

संदर्भ सूची

1. डाइसि, ए. वी. (1885). इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन (1st ed.). मैकमिलन.
2. गुहा, रामचन्द्र. (2007). इंडिया आफ्टर गांधी: द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. पिकाडोर इंडिया.

3. हसन, ज़ोया. (1998). क्वेस्ट फ़ॉर पावर: अपोज़िशनल पॉलिटिक्स इन उत्तर प्रदेश. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
4. जाफ़रलो, क्रिस्टोफ़. (2003). इंडियाज़ साइलेंट रिवोल्यूशन: द राइज़ ऑफ द लोअर कास्ट्स इन नॉर्थ इंडिया. परमानेंट ब्लैक.
5. मिर्डल, गुन्नार. (1968). एशियन ड्रामा: एन इन्क्वायरी इन्टू द पॉवर्टी ऑफ नेशन्स (Vols. 1–3). पैंथियॉन बुक्स.
6. वेबर, मैक्स. (1947). द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइज़ेशन (टी. पार्सन्स, अनुवादक). ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
7. भारत सरकार. (1950). द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस.
8. उत्तर प्रदेश सरकार. (1992). उत्तर प्रदेश पब्लिक एग्ज़ामिनेशन्स (प्रिवेन्शन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 1992. उत्तर प्रदेश शासन.
9. राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो. (विभिन्न वर्ष). क्राइम इन इंडिया. गृह मंत्रालय, भारत सरकार.
10. नीति आयोग. (2021). नेशनल मल्टीडाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स: बेसलाइन रिपोर्ट. भारत सरकार.
11. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम. (1997). गवर्नेंस फ़ॉर सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट. यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम.
12. विश्व बैंक. (1994). गवर्नेंस: द वर्ल्ड बैंक्स एक्सपीरियंस. वर्ल्ड बैंक.